


22-9-24

पत्रावली आज पेश हुई।
वादीनी वकील उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय
में राजस्व राजस्व वाद दिनांक 13.09.2022 को दर्ज करने के
बाद वादीनी वकील को प्रतिवादीगण के सम्मन डाक
रजिस्टर्ड भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु वादीनी
वकील द्वारा आज तक प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नहीं
किये। वादीनी वकील को प्रतिवादीगण के सम्मन तामिली
कई अवसर दिये जाने बावजूद भी वादीनी वकील ने
प्रतिवादीगण के सम्मन आज दिनांक तक पेश नहीं किये।
लगभग दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी
प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव
उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत वादीनी
का राजस्व वाद अदम तकमील में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हों।


सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

